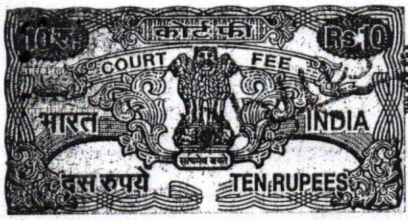

(46)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   / 2017 निगरानी

/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2017/4826

जगमन सिंह पुत्र स्व.श्री देवीसिंह निवासी ग्राम द्वारकागंज तहसील व जिला ग्वालियर

राजेश शर्मा, अभि० 4-12-17

बनाम

1. पानाबाई पत्नी स्व.श्री सीताराम
2. रमेश सिंह
3. जहार सिंह
4. हरेराम 2 लगायत 4 पुत्रगण सीताराम समस्त निवासीगण द्वारकागंज तहसील व जिला ग्वालियर

4-12-17

6-12-17

6/12/17

4/12/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 22.07.2017 जो नायाब तहसीलदार वृत्त उटीला द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/15–16 अ 70 में पारित किया।

12/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / ग्वालियर / भू.रा. / 2017 / 4826

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रथमतः अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 का आवेदन पत्र स्वीकार किया है लेकिन आवेदक की आपत्ति पर उन्होनें अपने पूर्व आदेश के स्थान पर संहिता की धारा 51 के आवेदन पत्र पर प्रकरण आवेदक के जवाब हेतु नियत किया गया है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में ही आवेदक की आपत्ति मान ली गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	